न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 152/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
चेनाराम पुत्र श्री अमानाराम जाति देवासी निवासी गांव कोरणा तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार सिवाणा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.11.2021 जो उपखंड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना बनाम जगमालराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 16 जनवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिवाना के खेत खसरा संख्या 410, 349, 350, 351, 348, 340, 331, 330, 407, 2657/376, 377, 1601/375, 374 व 1668/415 की गिरदावरी के दौरान बारहमासी रास्ता चालू पाया गया परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी में अंकन नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के क्रम में उक्त रास्ते की भूमि विप्रार्थीगणों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए विप्रार्थीगणों के द्वारा रास्ते बाबत सहमति प्रदान करने का अंकन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते सम्बन्धी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तरमीम करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अपीलान्ट के खेत ख0सं0 407 व नया खसरा संख्या 3209/407, 3210/407 आये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने कटान रास्ता दर्ज किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी वादग्रस्त भूमि पर विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता निकालने पहुंचे तब अपीलान्ट को हुई। अपीलान्ट मूल रूप से सिवाना में निवास नहीं करता है बल्कि ग्राम कोसाणा तहसीलदार कल्याणपुर मे रहता है। अपीलान्ट हर वर्ष की भांति इस बार भी खरीफ की फसल बोई थी, अपीलार्थी मौके पर देखरेख करने गया तब राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई तरमीम पर रास्ते का निर्माण कार्य हो रहा था तब उसे जानकारी हुई थी। तब अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपीलाधीन आदेश व अन्य रैकार्ड की नकले दिनांक 20.09.2023 को प्राप्त करते हुए अपील पेश करने की कार्यवाही न्यायालय हाजा के समक्ष की जा रही है। ऐसे में अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपील पेश करने की कार्यवाही कर रहा है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में माफ किया जावे तथा अपील अपीलान्ट को अन्दर म्याद शुमार की जावें। राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उक्त म्याद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि गांव सिवाना के मूल खसरा संख्या 407 अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है, जिस पर अपीलांट का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है, अपीलांट की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में से किसी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नहीं चल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त खसरा संख्या 407 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 01.11.2021 पारित कर दिया व बाले बाले अपीलांट की भूमि में नई तरमीम कर गैर मूमकिन रास्ता घोषित कर नया खसरा 3209/407 व 3210/407 तरमीम कर दिया गया है। जो तहसीलदार सिवाना ने उच्च राजनैतिक रसूखात वाले लोगो के दबाव में आकर नाजायज रूप से लाभ पहुँचाने की गरज से पारित करवाया और मनगढत रास्ता कटान किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है और न ही तहसीलदार, सिवाना ने इससे पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया है और न ही नोटिस अपीलांट को तामिल करावाया। तहसीलदार व अन्य राजस्व कर्मचारीयो ने बाले बाले अपीलांट की खसरान भूमि में से एक रास्ता कटान कर तरमीम कर दिया व अपीलांट की भूमि में निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जो अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार के खेत में से रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित करने से पूर्व उस खातेदार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पास के खेत ख0सं0 377 वर्तमान ख0सं 3121 में से रास्ता पूर्व में दर्ज है जो अपीलान्ट के पास खेत ख0सं0 339 वर्तमान ख0सं0 1999/399 मूल सडक से जुडा हुआ रास्ता मौजूद है लेकिन रेस्पोन्ट ने जोर जबरदस्ती कर अपीलान्ट की भूमि से रास्ता निकालने हेतु आमदा है, व अपीलान्ट की भूमि को खुर्दबुर्द कर रहे है। अपीलान्ट के पडौस ख0सं0 399 में से वर्तमान में कटान रास्ता चल रहा है वो अपीलान्ट के खेत की माठ से जुडता हुआ है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र ख0सं0 408 के खातेदार से साठ–गांठ कर आदेश पारित करवाया है क्योंकि ख0सं0 408 में वर्तमान में प्लाटिंग हो रखी है। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के द्वारा अपनी खसरा भूमि में जाने हेतु रास्ता होने की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए वांछित कार्यवाही करवा सकता है तत्पश्चात सभी प्रभावित खातेदारों को सुनकर आदेश पारित करवाया जा सकता है परन्तु उल्लेखित प्रकरण में अपीलान्ट के साथ–2 अन्य किसी भी खातेदार के द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है और न ही मौका देखने बाबत तथा मौका रिपोर्ट तैयार किये के तथ्य उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में से रास्ता निकाले जाने बाबत बिना जॉच करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्रावली में जो नोटिस तामील होना रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया है उस नोटिस पर न तो किसी प्रकार का मुकदमा संख्या व दिनांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अंकित किया गया और न ही नोटिस पर किसी के तामीली की रिपोर्ट अंकित की हुई है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई तामीली रिपोर्ट पेश नहीं की है और न ही कोई रिपोर्ट बनाई गई उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये ही उनके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसे अपीलान्ट के ख0सं0 407 नया खसरा संख्या 3209/407, 3210/407 में से जो कटान रास्ता घोषित किया है उसको निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सिवाना के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम सिवाना के उल्लेखित खेत खसरान में रास्ता बारहमासी चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, सिवाना के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने हेतु जो नोटिस जारी किये गये है, उनको जारी किये जाने सम्बन्धी न तो न्यायालय की ओर से कोई प्रकरण संख्या/वर्ष का उल्लेख किया है और न ही उक्त नोटिसेज न्यायालय द्वारा कब जारी किया गया एवं पक्षकार खातेदार को किस दिनांक को उपस्थित होना है, इत्यादि का न तो अंकन किया गया है और न ही उन पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा कोई हस्ताक्षर किये हुए पाये गये है न ही प्रभावित खातेदार से विधिक रूप से तामील करवाये गये है या नोटिस की तामीली/अदम तामीली सम्बन्धी तामील कुनिन्दा की ओर से कोई रिपोर्ट अंकित हो रखी है। अपीलान्ट जो कि ग्राम सिवाना में निवास नहीं कर ग्राम कोरणा तहसील–कल्याणपुर में निवास करता है जिसे विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को प्रतिप्रेषित किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाकर अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 16 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर